



# प्रेस नोट थाना बण्डा

## जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 13.08.2025

थाना बण्डा पुलिस द्वारा मुकदमे में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

“थाना बण्डा पुलिस द्वारा मु0अं0सं0 393/2025 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 170/126/135 BNSS में श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय पुवाया के समक्ष पेश किया गया”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदय व क्षेत्राधिकारी पुवायां जनपद शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी व तलाश वांछित/वारन्टी-जिलाबदर अपराधी व रोकथाम अवैध शराब-शस्त्र / अफीम चरस बिक्री-निर्माण एवं चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन/गश्त के दौरान आज दिनांक 12.08.2025 को थाना बण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

### संक्षिप्त विवरण:-

श्रीमान जी थाना हाजा पर दिनांक 11.08.2025 को मु0अं0सं0 0393/2025 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम वादी वादी गौरव सिंह पुत्र सन्तकुमार निवासी ब्लाक अध्यक्ष हिन्दू युवा वाहिनी बण्डा नि0 मो0 देवस्थान बण्डा थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर की लिखित तहरीर पर अभियुक्त तेजपाल कश्यप S/O धनीराम नि0 श्यामपट्टी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अपनी गाय को बेरहमी से पीटने जिसकी विडियो वायरल हो जाने पर वादी द्वारा पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त तेजपाल कश्यप उपरोक्त को दिनांक 12.08.2025 को समय करीब 14.25 बजे अभियुक्त तेजपाल कश्यप के घर से गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 170/126/135 BNSS अभियुक्त का चालान माननीय उपजिला मजिस्ट्रेट कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. तेजपाल कश्यप S/O धनीराम नि0 श्यामपट्टी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर

### आपराधिक इतिहास-

मु0अं0सं0 393/25 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम

### गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

दिनांक 12.08.2025 को समय 14.25 बजे अभियुक्त के घर ग्राम श्यामपट्टी से

### गिरफ्तार करने वाली टीम: -

1. श्री शिव कुमार राय थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 मोहित पवार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर